न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री अमानुल्लाह खांन
आर.ए.एस.

मिसल संख्याः	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
69 / प्रा0पत्र / 2020	15.12.2020	04.01.2021

श्री बबलू मीणा पुत्र घासीलाल मीणा निवासी धरावण थाना देहीखेडा, तहसील एवं जिला बून्दी (राज0) – प्रार्थी

उपस्थित :–

प्रार्थी की ओर से – श्री प्रमोद वर्मा, अभिभाषक।

–: निर्णय :–

प्रार्थना पत्र प्रार्थी श्री बबलू मीणा पुत्र घासीलाल मीणा निवासी धरावण थाना देहीखेडा, तहसील एवं जिला बून्दी (राज0), ने जर्ये अभिभाषक श्री प्रमोद वर्मा द्वारा दिनांक 15.12.2020 को पेश किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रार्थी के अभिभाषक की बहस सुनी गई।

राजस्थान न्यायालय फीस एवं वाद मूल्यांकन अधिनियम 1961 की धारा 65(ख) राजस्थान कोर्ट फीस स्टाम्प वैल्यूएशन रूल्स 1961 के नियम 27(1) तथा राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.2(5) वित्त कर 03 दिनांक 24.06.2003 के अनुसार कोर्ट फीस स्टाम्प रिफण्ड के लिये श्रीमान् जिला कलक्टर, बून्दी के आदेश क्रमांक 646–649 / रीडर / 2018 दिनांक 12.04.2018 से अतिरिक्त जिला कलक्टर, बून्दी को अधिकृत किया गया है।

बहस अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि प्रार्थी ने अपर जिला न्यायाधीश क्र.सं.–02, बून्दी में दीवान वाद सं.–07 / 2014 उनवान श्री बबलू मीणा पुत्र घासीलाल मीणा निवासी धरावण थाना देहीखेडा, तहसील एवं जिला बून्दी (राज0) में लोक अदालत की भावना से जर्ये राजीनामा निर्णय हुआ है। जिसमें कोर्ट फीस वादी को वापिस लोटाये जाने के आदेश प्रदान किये गये है। अतः कोर्ट फीस स्टाम्प की राशि वापिस प्रार्थी को लोटाई जावे। इस संबंध में न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश क्र.सं.–02, बून्दी, ने प्रमाण पत्र सं.–209 दिनांक 08.12.2020 द्वारा जारी किया गया है। जिसमें प्रार्थी को कोर्ट फीस 17,150 /– रूपये वापस लौटाये जाने का आदेश पारित हुआ है। अतः श्री बबलू मीणा पुत्र घासीलाल मीणा निवासी धरावण थाना देहीखेडा, तहसील एवं जिला बून्दी

अति0 ज़िला कलक्टर

A 6/2

(राज0) को कोर्ट फीस राशि 17,150/- रूपये का भुगतान किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस अभिभाषक प्रार्थी पर मनन किया। पत्रावली में संलग्न न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश क्र.सं.-02, बून्दी के पत्र सं. 209 दिनांक 08.12.2020 से प्रार्थी को न्याय शुल्क (कोर्ट फीस) राशि 17,150/- रूपये (अक्षरे-सत्रह हजार एक सौ पचास रूपये) लौटाने के आदेश दिये गये है। न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश क्र.सं.-02, बून्दी के आदेश की पालना में प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कोर्ट फीस स्टाम्प 5000/- रूपये के 03 नग, स्टाम्प नम्बर 067101 से 067103 तक, स्टाम्प 1000/-रूपये का 02 नग, स्टाम्प नम्बर 078639 से 078640, स्टाम्प 100/- रूपये का 01 नग, स्टाम्प नम्बर-033195, स्टाम्प 50/- रूपये के 01 नग, कुल नग 07, कुल स्टाम्प राशि 17,150/-रूपये राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प. 2 (5) F.D./कर/03 दिनांक 24.06.2003 के अनुसार राजस्थान कोर्टफीस एण्ड सूट वेलूऐशन रूल्स् 1961 के नियम 27 (1) के अन्तर्गत प्रार्थी को 17,150/- रूपये राज्य सरकार के पत्रांक प. 2 (32) F.D./कर/06 दिनांक 07.03.2007 के अनुसार स्टाम्प रिफण्ड कटौती 6.25 प्रतिशत की दर से 1,072/- रूपये की कटौती करते हुये शेष राशि 16,078/-रूपये (अक्षरे-सोलह हजार अठत्तर रूपये) का भुगतान प्रार्थी श्री बबलू मीणा पुत्र घासीलाल मीणा निवासी धरावण थाना देहीखेडा, तहसील एवं जिला बून्दी (राज0) को करने की स्वीकृति दी जाती है। प्रार्थी को भुगतान हेतु स्टाम्प एवं पत्रादि केशियर जिला कलेक्ट्रेट, बून्दी को भिजवावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अमानुल्लाह खान, R.A.S.)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
बून्दी (राज0)